बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
अधिसूचना

पटना, दिनांक–

संख्या–3/वितंतु–01–01/2019 गृ0आ0............/ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सह पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 एवं धारा–94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, दूरसंचार अधीनस्थ पदाधिकरी (प्रचालक) भर्ती, प्रोन्नति और संवर्ग नियमावली, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली ''बिहार पुलिस दूर संचार (वितन्तु) एवं तकनीकी सेवा नियमावली, 2021'' कही जायेगी।

   (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

   (3) यह तत्काल प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

   (i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार;

   (iii) ''चयन पर्षद'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय चयन पर्षद;

   (iv) ''अवर सेवा आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग;

   (v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

   (vi) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून कोटि के लिए गृह विभाग (आरक्षी शाखा);

   (vii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;

   (viii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी सेवा;

   (ix) ''डी0सी0पी0डब्लू0 '' से अभिप्रेत है पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली;

   (x) ''पुलिस महानिदेशक'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 5(1) के तहत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;

   (xi) " बिहार पुलिस रेडियो संगठन'' से अभिप्रेत है वह संगठन जो बिहार पुलिस बल का एक अंग है एवं जो विधि एवं व्यवस्था और अपराधों के निवारण एवं उद्भेदन से संबंधित संदेशों के पारेषण के लिए राज्य में बेतार संचार की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा आदि एवं राज्य सरकार अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा निदेशित संवादों का प्रारेषण आदि की व्यवस्था करे।

   (xii) " बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय'' से अभिप्रेत है पटना स्थित बिहार पुलिस रेडियो संगठन का कार्यालय।

3. **संवर्ग की संरचना।**– (क) यह संवर्ग एक बंद संवर्ग होगा। इस संवर्ग का पदसोपान निम्नवत होगा :-

क्र0	पदनाम	कोटि	स्तर
1	पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी)	मूल कोटि	राजपत्रित
2	वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
3	अपर पुलिस अधीक्षक (वितंतु)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4	पुलिस अधीक्षक (वितंतु)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
5	पुलिस उप महानिरीक्षक (वितंतु एवं तकनीकी सेवायें)	चतुर्थ प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

(ख) उक्त पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(ग) पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) का पद पुलिस अधीक्षक (वितंतु) के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं रहने पर भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से भरा जा सकेगा।

4. **संवर्ग बल।**– (i) संवर्ग का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(ii) नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत बिहार पुलिस रेडियो संगठन के सभी पदाधिकारी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

5. **<u>संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि।</u>**–

(I) <u>पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि</u>

1 पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) की पंक्ति के पचास प्रतिशत (50%) पद सम्पुष्ट पुलिस निरीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) पद पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी।

2 **सीधी नियुक्ति द्वारा-(क) शैक्षणिक अहर्ता:-** पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार (Electronics & Communication), अथवा इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्यूनेकशन (Electronics & Tele-Communication), अथवा सूचना प्रावैधिकी (Information Technology) अथवा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स (Electrical & Electronics), अथवा इन्सट्रूमेन्टेशन इन्जीनिरिंग एवं संचार (Instrumentation Engineering & Communication), अथवा इलक्ट्रीकल इंजियरिंग (Electrical Engineering) जिसमें इलेक्ट्रानिक्स संचार की विशेषज्ञता रही हो विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या समकक्ष में पचास प्रतिशत (50%) अंकों

के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता पैतालीस प्रतिशत (45%) होगी।

(ख) **उम्र सीमा** – इन पदों के लिए उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य पुलिस बल के पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित होगी।

(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सरकार को विहित निदर्शन प्रपत्र में एक अध्यपेक्षा भेजी जायेगी जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी। सरकार इसे आयोग में भेजेगी। आयोग द्वारा पृथक अथवा अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।

(घ) **चयन की प्रक्रिया एवं पद्धति**– आयोग द्वारा तीन चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। परीक्षा सामान्य पुलिस बल के पुलिस उपाधीक्षकों एवं राज्य स्तरीय अन्य पदों के लिए ली जा रही सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही ली जा सकेगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वही होंगे जो आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवादों की द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा में सभी अनिवार्य विषय वही रहेंगे जो आयोग द्वारा सामान्य बल में पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित रहते हैं। इन पदों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में अभियंत्रण स्नातक स्तर के समूह (क) इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार (Electronics & Communication), अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्यूनेकशन (Electronics & Tele-Communication), अथवा समूह (ग) सूचना प्रावैधिकी (Information Technology) अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स (Electrical & Electronics), अथवा समूह (ड.) इन्सट्रूमेन्टेशन इन्जीनिरिंग एवं संचार (Instrumentation Engineering & Communication), अथवा समूह (च) इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग (Electrical Engineering) जिसमें इलेक्ट्रानिक्स संचार की विशेषज्ञता हो, विषय होंगे एवं इन विषय में से कोई एक विषय का चयन अभ्यर्थियों द्वारा किया जायेगा, जिसकी परीक्षा ली जायेगी।

तृतीय चरण में सफल उम्मीदवारों की अन्तर्वीक्षा परीक्षा होगी एवं इसमें सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण होगा जिसमें सफल होने पर पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) अथवा पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा सरकार को की जायेगी और तदनुसार सरकार द्वारा नियुक्ति को अधिसूचित किया जाएगा।

(ड.) **प्रशिक्षण एवं वरीयता** – (i) पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) को सामान्य पुलिस उपाधीक्षक कोटि के लिए निर्धारित बेसिक पुलिस प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर इन्हें डी0सी0पी0डब्ल्यू0 के द्वारा निर्धारित उच्चतर संचार पाठ्यक्रम (Advanced Communication Course) का प्रशिक्षण प्राप्त कर इसमें उर्त्तीण होना होगा।

(ii) उपाधीक्षकों की आपसी वरीयता उन्हीं मापदण्डों पर आधारित होगी, जो राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस में सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के लिए यथाविहित होंगे।

(च) परिवीक्षा एवं संपुष्टि – पुलिस उपाधीक्षकों की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षो की होगी, जिसमें इन्हें बुनियादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित एवं आयोजित विभागीय परीक्षा एवं डी0सी0पी0डब्ल्यू0 के द्वारा निर्धारित एडवांस कम्युनिकेशन कोर्स की परीक्षा पास करना होगा। परीक्षा पास करने के उपरांत ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इनकी संपुष्टी पर विचार किया जा सकेगा।

3. **प्रोन्नति द्वारा**– (क) पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पचास प्रतिशत (50%) पदों को सम्पुष्ट पुलिस निरीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के पदों से प्रोन्नति द्वारा आयोग की अनुशंसा पर भरा जायेगा। प्रोन्नति के लिए वही नियम एवं शर्त निर्धारित होंगे जो सामान्य पुलिस बल के पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित है। डी0सी0पी0डब्ल्यू0 के द्वारा निर्धारित एडवांस कम्युनिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण उर्त्तीण पुलिस निरीक्षक ही प्रोन्नति हेतु विचारण के योग्य होंगे।

(ख) **परिवीक्षा अवधि, संपुष्टि एवं विभागीय परीक्षा**– पदोन्नति से नियुक्त उपाधीक्षकों की परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। इन्हें पुलिस उपाधीक्षक के पद पर संपुष्टि के लिए राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित एवं आयोजित विभागीय परीक्षा में उर्त्तीणता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक से प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक के बीच आपसी वरीयता– पुलिस निरीक्षक से प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षकों को इनके संवर्ग में प्रोन्नति के वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के उपर रखा जायेगा।

(II) <u>वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) पद पर प्रोन्नति</u>– वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) पदों को क्रमशः सम्पुष्ट पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। यह प्रोन्नति विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी। प्रोन्नति हेतु अर्हता, मापदण्ड एवं प्रक्रिया वही होगी जो बिहार पुलिस में वरीय पुलिस उपाधीक्षक के लिए सरकार द्वारा यथाविहित हों।

(III) <u>अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर प्रोन्नति</u>– अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद को वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पदधारकों की उक्त पद पर प्रोन्नति की तिथि से एक समेकित वरीयता सूची बनायी जायेगी और वरीयता क्रम के अनुसार उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर प्रोन्नति के लिए वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रोन्नति पर विचार सामान्य पुलिस बल के बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों

के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रोन्नति अधिसूचित की जायेगी।

(IV) <u>**पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर प्रोन्नति-**</u> पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद को अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सामान्य पुलिस बल में बिहार पुलिस सेवा के स्टाफ आफिसर के पद पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ही अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) से पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार कर अनुशंसा की जायेगी। उक्त समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रोन्नति अधिसूचित की जायेगी।

(V) <u>**पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) के पद पर प्रोन्नतिः-**</u> पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) के पद को पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर कार्यरत पदाधिकारी से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। इस पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को उप-महानिरीक्षक पद हेतु अनुशंसा के लिए निर्धारित प्रोन्नति समिति के समान होगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि लागू होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रोन्नति अधिसूचित की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं रहने पर इस पद को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से भरा जा सकेगा।

6. **आरक्षण।-** संवर्ग के सभी पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

7. **बिहार पुलिस रेडियो संगठन का मुख्यालय।-** बिहार पुलिस रेडियो का मुख्यालय पटना में कार्यरत होगा तथा यह जिला पुलिस कार्यालय (रिजर्व आफिस सहित) की तर्ज पर कार्य करेगा। बिहार पुलिस रेडियो संगठन अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें एवं वितन्तु) अथवा इनके पदस्थापित न होने पर पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवायें एवं वितन्तु) के अधीन कार्यरत होगा।

8. **वेतन और भत्ते।-** संवर्ग के पदाधिकारियों को देय वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

9. **अवशिष्ट मामले।-** इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से जो मामले आच्छादित नहीं होंगे, वैसे मामले बिहार सेवा संहिता/नियमावली/संकल्प/बिहार पुलिस हस्तक जो भी राज्य सरकार में समकक्ष पद के लिए अनुमान्य होगा, द्वारा शासित होंगे।

10. **निर्वचन।-** इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई शंका हो तो तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा की गयी व्याख्या/निर्वचन अंतिम होगा।

11. **निरसन एव व्यावृति।-** (i) रेडियो संगठन में इस नियमावली के नियम-5 में वर्णित (I) से (V) तक के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित

प्रावधानों के प्रभाव में आने से बिहार पुलिस हस्तक,1978 के सुसंगत नियम तदनुसार संशोधित समझे जाएंगे।

(ii) गृह विभाग की अधिसूचना सं0 368 दिनांक 06.07.1989 द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस रेडियो (दूर संचार) अधिनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक), भर्ती, प्रोन्नति, संवर्ग नियमावली, 1989 एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/ निदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(iii) ऐसे निरसन के होते हुए, इस संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय एवं निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश एवं उक्त के आलोक में की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन अथवा इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन की गयी कार्रवाई मानी जायेगी, जैसे कि उक्त तिथि में यह नियमावली लागू हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(ईश्वर चन्द्र सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-01/2019 गृ0वि0......................../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-सी0डी0 के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-01/2019 गृ0वि0......................../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ), बिहार, पटना/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-01/2019 गृ0वि0......................../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-3/वितंतु-01-01/2019 गृ0वि0..1315................../पटना, दिनांक 15/2/21

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.2.2021

सरकार के विशेष सचिव